न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 65/2022

प्रार्थी

1. नेमीचन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मोहनलाल पुत्र पन्नालाल जाति ब्राहमण निवासी खारिया मीठापुर, बिलाडा
2. गणपतलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्रहमण निवासी खारिया मीठापुर,बिलाडा
3. गोदाराम पुत्र चिमनाराम जाति गुर्जर निवासी खारिया मीठापुर, बिलाडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री भागीरथ सिंह सोढा अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1व 2 की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्याही।
अप्रार्थी सं. 4– सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: दिनांक 7/10/22

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी से 1 व 2 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार अविभाजित परिवार के सदस्य है एवं उनकी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति जो पैतृक सम्पति है। ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा के खसरा सं. 1625 एक हजार छह सौ पचीस रकबा 1.8769 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा सं. 1624/1 रकबा 0.2912 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा सं. 1631/5 रकबा 1.0922 हेक्टेयर किस्म वाही अलीफ कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.2603 हेक्टेयर की आई हुई है। जो भूमि अप्रार्थी सं. 1 की निजी सम्पति नहीं है। जो सम्पति अधार्थी सं. 1 को उसके पिता पन्नालाल से प्राप्त हुई है। जिसके समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 की संलग्न है। अप्रार्थी सं. 1 जो वादी के पिता है। बहुत ही भोली प्रवृति के एवं ब्राहमण व साधु प्रवृति के व्यक्ति है। जिनको बहला फुसलाकर भंवरलाल पुत्र दूदाराम जाति सीरवी निवासी खारिया मीठापुर वाले ने धोखे इसी खेत में से एक भूभाग दिनांक 31–12–2014 को बैचान कर दिया एवं अप्रार्थी सं. 1 से बिना प्रतिफल दिये रजिस्ट्री करवा दी, जिसका निरस्त करवाने हेतु वादी ने सिविल न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 1625 एक हजार छह सौ पचीस रकबा 1.8769 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा सं. 1624/1 रकबा 0.2912

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा सं. 1631/5 रकबा 1.0922 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.2603 हैक्टेयर आई हुई है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की पैतृक सम्पति है। अर्थात् प्रार्थी के दादा पन्नालालजी से प्राप्त सम्पति है। अप्रार्थी सं. 1 को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि जिसे प्रार्थना पत्र के आगे के फिकरों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 बैचान करने पर आमादा है एवं उक्त कृषि भूमि जो प्रार्थी व उनके परिवार का भरण पोषण का एकमात्र सहारा है। बैधान किये जाने पर प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकारों से वंचित हो जायेगा एवं प्रार्थी के परिवार को भूखों मरने की स्थिति आ जायेगी। अप्रार्थी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि बेचने का करने का कतई अधिकार नहीं है एवं जो पूर्व में बैचान किया गया है। उक्त बैचान भी कपटपूर्वक एवं बिना विधिक आवश्यक के किया गया है, जिस कारण उक्त बैचान वादी के हक व अधिकारों के विरूद्ध शून्य व बेअसर है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा निहित है एवं अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हक हिस्सा निहित है एवं अप्रार्थी सं. 2 का 1/3 हिस्सा निहित है एवं उक्त हिस्सा घोषिण करवाने का वादी अधिकारी है। उक्त खरीदकर्ता भंवरलाल स्वयं या अन्य किसी अपने रिश्तेदार के नाम से प्रार्थी के हक हिस्से सहित वादग्रस्त भूमि को बैचान करने पर आमादा है, जिस हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को बार-बार समझाईश करने के बावजूद भी भंवरलाल के बहकावे में है एवं उनके कहेनुसार उक्त भंवरलाल या अन्य किसी के नाम से बैचान करने की साजिश की जा चुकी है, जिस हेतु वादी को अपने हक हिस्से को सुरक्षित करने हेतु न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से उक्त कृषि भूमि होने के कारण व प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 की पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थी अपना हक हिस्सा अलग करवाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 01-09-2022 को निवेदन किया कि बंटवाड़ा करवाकर प्रार्थी को अपने हिस्से की जमीन अलग करके तरमीम करवा दे एवं प्रार्थी को अलग काश्त हेतु सौप दे, परन्तु अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को एक इंच भी जमीन देने से मना कर दिया, जिस कारण प्रार्थी को अपना हक हिस्सा लेने हेतु कार्यवाही करनी पड़ी है। अप्रार्थी सं. 3 बलपूर्वक वादी के हक हिस्से की भूमि पर जबरन काश्त कार्य करने पर आमादा है एवं प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि बिना बंटवाड़ा करवाये अप्रार्थी सं. 1 को बहला फुसलाकर प्रार्थी के हिस्से पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है एवं अप्रार्थी गोदाराम ने दिनांक 10-09-2022 को धमकी दी कि वह जबरन वादग्रस्त भूमि में काश्त कार्य करेगा एवं प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से दखल करने पर जान से मारने व हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी, जिस कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार भूमिधारी होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाये गये है। सरकार के विरूद्ध अन्य कोई सहायता नहीं चाही गई है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया ही वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है एवं अप्रार्थी सं. 3 लाठी लकड़ी के बल पर प्रार्थी को अपनी पैतृक कृषि भूमि पर काश्त कार्य नहीं करने दे रहा है एवं जबरन प्रार्थी की कृषि भूमि पर स्वयं कृषि कार्य कर रहा है एवं प्रार्थी को नजदीक जाने पर वह अपनी कृषि भूमि में काश्त कार्य करने पर जान से मारने व हाथ पैर तोड़ने की धमकिया दे रहा है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा अगर प्रार्थी को अपने हिस्से में काश्त कार्य करने से रोका जाता है तो प्रार्थी व उसका परिवार भूखो मर जायेगा एवं अपूर्णियक्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन कि अप्रार्थी स. 1 को वादग्रस्त भूमि का वैचान व रहन अन्य अन्तकरण करने से रोका जायें अप्रार्थी सं. 4 को ऐसा कोई बैचान, रहन व अन्यथा अन्तरण पेश होने पर तस्दीक नहीं करने का आदेश प्रदान करावें एवं अप्रार्थी सं. ३ को बलपूर्वक बिना बंटवाड़ा कराये बलपूर्वक प्रार्थी के हिस्से की भूमि में उपयोग व उपभोग में न तो अप्रार्थी सं. 3 या उसके हाली एजेन्ट नौकर ही दखल कराने से रोका जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त की जवाब नहीं प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 का जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थी सं.3 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा कें प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि ग्राम खारिया मीठापुर में स्थित वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की निजि संपति नहीं है। उक्त संपति अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार नही है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1625 व खसरा नंबर 1624/1 में अप्रार्थी सं. 1 रेकर्डेड खातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 212 के अनुसार रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जमीन बैचान का जिक्र किया किन्तु फार्म नं. 3 के साथ रजिस्टर्ड बैचाननामा संबंधी कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बैचान रजिस्ट्री को निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायालय में प्रार्थना पत्र विचाराधीन होना बताया है लेकिन सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को पक्षकार क्यों बनाया गया इसका अपने प्रार्थना पत्र में कारण स्पष्ट नहीं किया । प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 1631/5 अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक संपति बताया है लेकिन खसरा नंबर 1631/5 से संबंधी कोई सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गये। इस कारण मेरे विनम्र मत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध साबित होते है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 7/10/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा